न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
77 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	24.07.2023	21.02.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री केशव कुमार नामा पुत्र श्री सुन्दर लाल नामा निवासी ग्रा0पो0 बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ.मैसर्स नामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर ढिकोलिया रोड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024 मोबाईल नं0 8104700720।
2–मैसर्स नामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर ढिकोलिया रोड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक।
3–श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन निवासी ग्रा0पो0 अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज0 प्रोपरायटर मैसर्स विनीता जनरल स्टोर बालाकिला चौक मैन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024।
4–मैसर्स विनीता जनरल स्टोर बालाकिला चौक मैन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024
5–श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा निवासी 16 राज विहार आगरा रोड जामडोली जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं0 4 केशव विद्यपीठ के पास आगरा रोड जामडोली जयपुर राज0। पिनकोड–302031
6– मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं0 4 केशव विद्यपीठ के पास आगरा रोड जामडोली जयपुर राज0। पिनकोड–302031

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 21/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2023 को समय सायं 03:40 पी.एम. पर मैसर्स नामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर ढिकोलिया रोड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से केशव कुमार नामा पुत्र श्री सुन्दर लाल नामा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स नामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर ढिकोलिया रोड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ का व्यापार करते हुए उपस्थित मिला, श्री केशव कुमार नामा पुत्र श्री सुन्दर लाल नामा को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री केशव कुमार नामा पुत्र श्री सुन्दर लाल नामा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक में 14–15 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 400–400 ग्राम पैंक **नमकीन (श्री अंजनी ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री केशव कुमार नामा पुत्र श्री सुन्दर लाल नामा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री केशव कुमार नामा पुत्र श्री सुन्दर लाल नामा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन (श्री अंजनी ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर बीएच 109 एवं पैंकिग की दिनांक फरवरी–2023 थी, के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन (श्री अंजनी ब्राण्ड)** 400–400 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3538 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3538 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री केशव कुमार नामा पुत्र श्री सुन्दर लाल नामा निवासी ग्रा0पो0 बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स विनीता जनरल स्टोर बालाकिला चौक मैन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक का खरीद बिल क्रमांक / इन्वॉइस नं. 22–23 / 004 दिनांक 28.02.2023 प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स विनीता जनरल स्टोर बालाकिला चौक मैन मार्केट अलीगढ तह. उनियारा से संपर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं0 4 केशव विद्यपीठ के पास आगरा रोड जामडोली जयपुर का खरीद बिल क्रमांक / इन्वायस नं0 2022–23 / 1732 दिनांक 24.02.2023 प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2023 / 1805 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस / 1040 / एक्ट / 2023 / 1103 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **नमकीन (श्री अंजनी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन (श्री अंजनी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **नमकीन (श्री अंजनी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक